



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

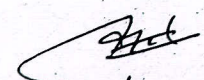
क्रमांक:जविप्रा/उपा/जोन-11/2022/डी-50

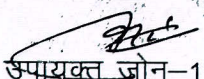
दिनांक 04/11/23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल व.मी.	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री जगदीश प्रसाद चौधरी पुत्र स्व. श्री लादूराम	लादू पुत्र श्री भोरिया	1482	900	जविप्रा	बगरुखुर्द	नाम हस्तांतरण व लीज होल्ड से फ्री-होल्ड लीजडीड	मृत्यु प्रमाण पत्र, हकत्याग पत्र, बटवारानामा
2	श्री हनुमान सिंह जाट पुत्र स्व. श्री लादूराम	लादू पुत्र श्री भोरिया	1525	900	जविप्रा	बगरुखुर्द		
3	श्री हनुमान सिंह जाट पुत्र स्व. श्री लादूराम	लादू पुत्र श्री भोरिया	1542	900	जविप्रा	बगरुखुर्द		
4	श्री हनुमान सिंह जाट पुत्र स्व. श्री लादूराम	लादू पुत्र श्री भोरिया	367	50	जविप्रा	बगरुखुर्द		
5	श्री हनुमान सिंह जाट पुत्र स्व. श्री लादूराम	लादू पुत्र श्री भोरिया	153	900	जविप्रा	झाई		
6	श्री श्योजीराम चौधरी पुत्र स्व. श्री लादूराम	लादू पुत्र श्री भोरिया	7C	892.29	जविप्रा	झाई		
7	श्री तेजाराम जाट पुत्र स्व. श्री लादूराम	लादू पुत्र श्री भोरिया	157	900	जविप्रा	झाई		
8	श्री जगदीश प्रसाद चौधरी पुत्र स्व. श्री लादूराम हिस्सा 1/3 श्री तेजाराम जाट पुत्र स्व. श्री लादूराम हिस्सा 1/3 श्री हनुमान सिंह जाट पुत्र स्व. श्री लादूराम हिस्सा 1/3	लादू पुत्र श्री भोरिया	S-212	500	जविप्रा	झाई		
9	श्री श्योजीराम चौधरी पुत्र स्व. श्री लादूराम हिस्सा 1/2 श्री हनुमान सिंह जाट पुत्र स्व. श्री लादूराम हिस्सा 1/2	लादू पुत्र श्री भोरिया	9	800	जविप्रा	झाई		


उपायुक्त, जोन-11
जविप्रा, जयपुर।


उपायुक्त, जोन-11
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषय-आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने बाबत।

124004, 124328, 123697, 124330

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री मंगल राम मीणा	श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री मंगल राम मीणा	338-ए	शिवशंकर	पशुपतिनाथ नगर	फ्रीहोल्ड लीजडीड	सदस्यता सूची में किसी का नाम अंकित नहीं है।
2	श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री मंगल राम मीणा	श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री मंगल राम मीणा	338-बी	शिवशंकर	पशुपतिनाथ नगर	फ्रीहोल्ड लीजडीड	सदस्यता सूची में किसी का नाम अंकित नहीं है।
3	श्री मंगल राम मीणा पुत्र स्व. श्री कानाराम मीणा	श्री मंगल राम मीणा पुत्र स्व. श्री कानाराम मीणा	338	शिवशंकर	पशुपतिनाथ नगर	फ्रीहोल्ड लीजडीड	सदस्यता सूची में किसी का नाम अंकित नहीं है।
4	श्री मंगल राम मीणा पुत्र स्व. श्री कानाराम मीणा	श्री मंगल राम मीणा पुत्र स्व. श्री कानाराम मीणा	147-ए	शिवशंकर	पशुपतिनाथ नगर	फ्रीहोल्ड लीजडीड	सदस्यता सूची में किसी का नाम अंकित नहीं है।

उपायुक्त जोन-9
जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जविप्रा/जोन-9/2022/ क्रमांक: /डी-
दिनांक

05.05.2023

74



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-09/2022/डी-84

दिनांक:-05-01-2023

सार्वजनिक सूचना

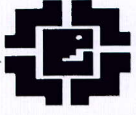
निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के नाम हस्तान्तरण / फ्रीहोल्ड लीजडीड हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी)	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	5	70.63 व.मी	कमला नगर	श्रीमती सरोज मीना पत्नी स्व. श्री कमल कुमार मीना	मैसर्स सोलमेट डिजायन एण्ड डवलपमेंट एलएलप पार्टनर श्री महेन्द्र शर्मा	मूल लीजडीड, मूल विक्रय पत्र एवं अपंजिकृत वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र के आधार पर।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का करावें।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सार्वजनिक सूचना

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री अनवर पुत्र पीरा बक्श	श्री कैलाश पुत्र श्री रामसहाय	111	43.62 व.मी.	जविप्रा	भांकरोटा	पट्टा/नाम हस्तान्तरण हेतु	नोटरी से प्रमाणित इकरारनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर

उपरोक्त का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

जन सम्पर्क अधिकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2022/डी-5236

दिनांक 05-12-2023

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

दूरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स - +91-141-2574555

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102277

दिनांक: 04/01/2023

लोक सूचना

वर्द्धन बिल्डटाउन प्रा.लि. जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हर्ष वर्धन सिंह पुत्र श्री रवीन्द्रपाल सिंह, 16/30, विवेक विहार, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।

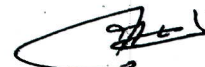
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	बगरूकंला, सांगानेर (जयपुर)	वर्द्धन बिल्डटाउन प्रा.लि. 16/30, विवेक विहार, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।	6092	2100	रकबा 0.2850 हैक्ट में से रकबा 0.21 हैक्ट.
कुल					0.21

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **04-01-2023** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102091

दिनांक: 04/01/2023

लोक सूचना

पिंक सिटी इन्फाकॉन प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय डी-825-826, सुन्दर नगर, मालवीय नगर, जयपुर।

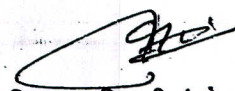
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

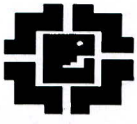
क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	नृसिंहपुरा सांगानेर (जयपुर)	पिंक सिटी इन्फ्राकॉन प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय डी-825-826, सुन्दर नगर, मालवीय नगर, जयपुर।	479	400	0.04
			480	900	0.09
			481	260	0.0260
			482	1000	0.10
			483	3100	0.31
				कुल	0.5660

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **04-01-2023** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022/डी-31

दिनांक:- 4/11/23

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय:-राजस्व ग्राम-चौमू तहसील-चौमू के खसरा नम्बर 7080/4 रकबा 0.0900 हेक्टेयर
भूमि **वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ** धारा 90ए की कार्यवाही हेतु सूचना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निजी खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम-चौमू तहसील-चौमू के खसरा नम्बर 7080/4 रकबा 0.0900 हेक्टेयर भूमि **वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ** धारा 90ए की कार्यवाही के लिये जारी लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फॉट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

सलग्न:-लोक सूचना।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-श्री गजानन्द पुत्र लालराम, बाबूलाल बोहरा पुत्र लालाराम, मोहनलाल पुत्र लालाराम,
निवासी-सेजावाली ढाणी, ग्राम-फतेहपुरा बांसा खातेदार को सूचनार्थ प्रेषित है।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022-23/102285/डी-31

दिनांक: 4/1/23

लोक सूचना

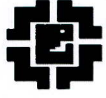
गजानन्द पुत्र लालाराम, बाबूलाल बोहरा पुत्र लालाराम एवं मोहनलाल पुत्र लालाराम, निवासीगण-सेजावाली ढाणी ग्राम-फतेहपुरा बांसा खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक (वाणिज्यिक) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं	क्षेत्रफल (हेक्टै.)	खातेदार का नाम
तहसील-चौमू जिला-जयपुर	चौमू	7080/4	0.0900	1. गजानन्द पुत्र लालाराम हिस्सा 1/3 जाति-हरियाणा ब्राह्मण 2. बाबूलाल बोहरा पुत्र लालाराम हिस्सा 1/3 जाति-हरियाणा ब्राह्मण 3. मोहनलाल पुत्र लालाराम हिस्सा 1/3 जाति-हरियाणा ब्राह्मण

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 4/1/23 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-32

दिनांक 05-1-23

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	समिति का नाम/निजी खातेदारी/जविप्रा	योजना का नाम	विवरण
1.	बी-205	श्री नवीन कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री सतीश चन्द्र गुप्ता	निजी खातेदारी	सैग्विन ऑफिसर्स कैम्पस (विस्तार पार्ट-I)	नामहस्तान्तरण

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।


उपायुक्त (जोन-14)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर।

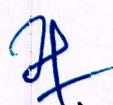
क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-5/2022/डी-42

दिनांक-5-1-23

आम सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में श्री अभिमन्यु सिंह पुत्र स्व. श्री दुर्गा सिंह एवं श्रीमती लेखा कुमारी पत्नी स्व. श्री भवानी सिंह द्वारा ग्राम-रामपुरारूपा तहसील व जिला-जयपुर के स्वयं के स्वामित्व के खसरा नं.-475/456 रकबा 0.2591 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.2591 हैक्टेयर भूमि का जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 54(ई) के तहत फ्री होल्ड व्यावसायिक पट्टा जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण द्वारा आवेदन पत्र के साथ चैक लिस्ट, क्षतिपूर्ति बंध पत्र, शपथ पत्र, बिजली के बिल एवं खसरा नं.-475/456 रकबा 2591 वर्गमीटर में से भूखण्ड क्षेत्रफल 2289 वर्गमीटर का ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि की जमाबंदी में किस्म गैर मुमकिन आबादी है, जोकि आवेदकगण के नाम दर्ज है। आवेदकगण द्वारा उक्त भूमि का तहसीलदार-जयपुर द्वारा जारी पट्टा क्रमांक-19 दिनांक-24.01.1984 की छायाप्रति भी प्रस्तुत की गई है।

अतः सर्वसाधारण को जरिये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि आवेदकगण श्री अभिमन्यु सिंह पुत्र स्व. श्री दुर्गा सिंह एवं श्रीमती लेखा कुमारी पत्नी स्व. श्री भवानी सिंह द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर ग्राम-रामपुरारूपा तहसील व जिला-जयपुर के स्वयं के स्वामित्व के खसरा नं. -475/456 रकबा 0.2591 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.2591 हैक्टेयर भूमि का जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 54(ई) के तहत फ्री होल्ड पट्टा जारी करने में किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष कमरा नं.-216, द्वितीय मंजिल, पार्किंग भवन, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में आपत्ति/सुझाव मय दस्तावेजों प्रस्तुत करें, अन्यथा बाद-मियाद आवेदकगण के पक्ष में फ्री होल्ड व्यावसायिक पट्टा जारी करने की कार्यवाही नियमानुसार कर दी जावेगी।



उपायुक्त जोन-5,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप निदेशक (सूचना एवं जन सम्पर्क), जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।



उपायुक्त जोन-5,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।



क्रमांक : जविप्रा/जोन-9/2022/डी- 76

दिनांक :- 05-01-2023

विज्ञप्ति

ग्राम खोखावास तहसील सांगानेर मे हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति की आवासीय योजना मारुति नगर के प्रकरण संख्या 151/2000 दिनांक 31.03.2000 से निर्णित 90बी शुदा खसरा नम्बर 474/1 रकबा 0.10 हैक्टे. मे सृजित भूखण्ड संख्या 118, 119, 119बी, 120, 121 एवं खसरा नम्बर 477/1 रकबा 0.10 हैक्टे. मे सृजित भूखण्ड संख्या 251, 252, 194, 179 का नियमन प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के तहत किया जाना प्रस्तावित है जिसके सम्बन्ध मे किसी भी व्यक्ति/हितधारक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे मय साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करें अन्यथा नियमन की कार्यवाही अमल मे लायी जावेगी।

उपायुक्त जोन-9
जयपुर जयपुर जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र मे प्रकाशित करावें।
2. रक्षी पत्रावली।

उपायुक्त जोन-9
जयपुर जयपुर जोन-9
जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी- 62

दिनांक: 5/1/2023

प्रस्तावित भू-उपयोग उपान्तरण

जयपुर क्षेत्र में स्थित जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा गुलाब बाड़ी भवन निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना गुरु जम्बेश्वर नगर-ए, जयपुर के भूखण्ड संख्या-233 क्षेत्रफल 444.62 वर्ग गज का पट्टा श्रीमती माया देवी पत्नी श्री एम.सी. अग्रवाल को क्रमांक डी-547 दिनांक 06.01.1995 को जारी किया गया था। श्रीमती माया देवी पत्नी श्री एम.सी. अग्रवाल द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूखण्ड का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना/जोनल योजना की 30 मीटर चौड़ी सड़क के सहारे-सहारे 30 मीटर की गहराई तक मिश्रित भू-उपयोग की पट्टी दर्शित है के अनुसार आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार उत्तर की ओर भूखण्ड संख्या-231, दक्षिण की ओर-80 फीट रोड़, पूर्व की ओर भूखण्ड संख्या 232 तथा पश्चिम की ओर 30 फीट रोड़ स्थित है।

किन्ही दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त उपान्तरण के संबंध में आपत्ति/सुझाव निम्न हस्ताक्षरकर्ता अथवा उपायुक्त जोन-07 को प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह विज्ञप्ति आज दिनांकको जारी की गयी।

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2022/डी- 33

दिनांक 5-1-23

आम सूचना

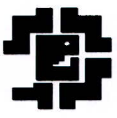
निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री दिलीप कुमार भारद्वाज पुत्र श्री रामप्रगट भारद्वाज एवं श्रीमती वंदना भारद्वाज पत्नी श्री दिलीप कुमार भारद्वाज	श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीमती रतनी देवी पत्नी श्री मोहन लाल शर्मा	डी-12 डी-13	- -	दी कृष्णा को.आ.हो.सा.	हरी नगर	फ्री होल्ड पट्टा	10/-रुपये के स्टाम्प प्रपत्र पर क्रय किया एवं अपंजीकृत इकरारनामा इत्यादि बिचौति पत्र, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र इत्यादि
2	श्री नाथूलाल शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा	श्री कन्हैयालाल, श्री लक्ष्मीनारायण पुत्रान रघुनाथ मीणा	22	216.66 व.ग.	निजी खातेदारी भूमि स्थित ग्राम बास बदनपुरा तहसील जयपुर खसरा नम्बर 75 एवं 76	मीणा कॉलोनी	फ्री होल्ड पट्टा	अपंजीकृत इकरारनाम/विक्रय पत्र, बिजली का बिल इत्यादि

उपायुक्त जोन-2

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-6/2023/डी- 77

दिनांक 05-1-23

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सुरेश अग्रवाल पुत्र श्री बंशीध अग्रवाल द्वारा ग्राम झोटवाडा तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 1092 में स्थित भूखण्ड का पार्ट-ए व पार्ट-बी कुल क्षेत्रफल 498.91 व.ग. का रजि.विक्रय पत्र/रजि. वसीयत के आधार पर एकल पट्टा जारी करने बाबत आवेदन किया गया है।

अतः उक्त सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/ संस्था/ कम्पनी/सह खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करे, अन्यथा खसरा नम्बर 1092 में स्थित भूखण्ड का पार्ट-ए व पार्ट-बी कुल क्षेत्रफल 498.91 व.ग.का नियमन करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। मयाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

उपायुक्त जोन-6
जविप्रा, जयपुर

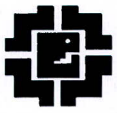
प्रतिनिधि:- जन सम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करवाकर समाचार पत्र की प्रति जोन में उपलब्ध कराने का श्रम करावे।

उपायुक्त जोन-6
जविप्रा, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/जोन-9/2023/डी-85

दिनांक :- 05/01/2023

विज्ञप्ति

भारत भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गीता विहार ए एवं सी के पट्टे प्रदान किये जाने हेतु कैम्प आयोजित किये जाने का आवेदन किया गया है। भूमि का विवरण इस प्रकार है :-

ग्राम एवं तहसील का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टे. मे)
चक गैटोर तहसील सांगानेर	378	0.37
	379	0.20
	380	0.19
	381	0.13
	382	0.20
	383	0.72
	384	0.01
	385	0.03
	386	0.17
	387	0.22
	378/510	0.09
	381/511	0.09
	383/512	0.09
	383/513	0.09
	कुल किता 14	रकबा 2.60 हेक्टे.
नगररियावाला तहसील सांगानेर	53	0.23
	54	0.24
	61	0.14
	62	0.15
	63	0.29
	64	0.10
	65	0.05
	66	0.16
	कुल किता 8	रकबा 1.36 हेक्टे.

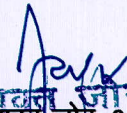
गीता विहार ए एवं सी ब्लॉक विकास समिति, सांगानेर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत सदस्यता सूची अनुसार योजना में निम्नलिखित व्यक्तियों को आवंटन पत्र जारी किये गये हैं निम्नलिखित भूखण्ड किसी भी सैक्टर रोड व न्यायालय प्रकरण व वाद-विवाद से प्रभावित नहीं है। अतः इन्ही भूखण्डों का नियमन शिविर में पट्टे जारी किये जाने सम्बन्धित कार्यवाही की जावेगी। साथ ही उक्त वर्णित भूखण्डधारी अपने मकान के सामने खड़े होकर फोटो व दीवार पर भूखण्ड संख्या व नाम अंकित कर बिजली एवं पानी के बिल के साथ आवेदन प्रस्तुत करें।

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	नाम जिसे समिति द्वारा आवंटन जारी किया गया है।
1.	ए-86	श्री गोधूराम मीना पुत्र श्री मंगल राम
2.	ए-87	श्रीमती गोपाली देवी पत्नी श्री रामशरण मीना
3.	ए-64ए	श्री राजपाल मीना पुत्र श्री बृजमोहन मीना
4.	ए-89	श्री राजपाल मीना पुत्र श्री बृजमोहन मीना
5.	ए-64	श्री सतपाल मीना पुत्र श्री बृजमोहन मीना
6.	ए-5	श्री कैलाश चन्द मीना पुत्र श्री कन्हैया लाल मीना
7.	ए-99	श्रीमती कल्पना बागडा पत्नी श्री महेश प्रकाश बागडा
8.	ए-85	सुश्री सोनू यादव पुत्री श्री फतेह सिंह यादव
9.	ए-9	श्री ओमप्रकाश विजय पुत्र श्री नाथूलाल विजय
10.	ए-79	श्रीमती मंजुलता कुमावत पत्नी श्री पवन कुमावत
11.	ए-105	श्रीमती सुनीला कुमावत पत्नी श्री विजय कुमावत
12.	सी-5	श्री चतर सिंह मीना पुत्र श्री महादेव प्रसाद मीना
13.	सी-7	श्रीमती अनिता सिंह देवी पत्नी श्री पी.एम.सिंह देव
14.	सी-8	श्रीमती अनिता सिंह देवी पत्नी श्री पी.एम.
15.	सी-9	श्री महेन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री कल्याण चन्द मीना
16.	सी-10	श्री महेन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री कल्याण चन्द मीना
17.	सी-11	श्री महेन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री कल्याण चन्द मीना

उपायुक्त जनि-9
जविप्रा, जयपुर

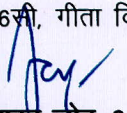
18.	सी-17	श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी स्व. श्री द्वारका प्रसाद सोलंकी
19.	सी-18	दीपशिखा शर्मा पुत्री श्री अनिल कुमार शर्मा
20.	सी-19	रश्मि शर्मा पत्नी श्री अनिल कुमार कटारा
21.	सी-21	नीतू सिंह मीना पत्नी श्री पूखराज मीना
22.	सी-23	अनिता सिंह देव पुत्री श्री भीमराज मीना
23.	सी-24	अनिता सिंह देव पुत्री श्री भीमराज मीना
24.	सी-25	श्री रामधन मीना पुत्र श्री श्रवण लाल मीना
25.	सी-26	लक्ष्मी मीना पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार मीना
26.	सी-37	लाडो देवी पत्नी श्री लाल चन्द मीना
27.	सी-44	दीनदयाल मीना पुत्र श्री जगन्नाथ मीना
28.	सी-45	श्रीमती नीता मीना पत्नी श्री आर.के.मीना

अतः योजना के आवंटियों को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त योजना में समिति द्वारा जारी आवंटन धारियों को को कैम्प लगाकर पट्टा वितरण किया जाना है। उक्त योजना के स्वामित्व के सम्बन्ध में/नियमन के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/हिलधारक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त तिथि को नियमन शिविर आयोजित कर लीजडीड जारी कर दी जावेगी।


उपायुक्त जौन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करावें।
2. अध्यक्ष, गीता विहार ए एवं सी ब्लॉक विकास समिति, सांगानेर, जयपुर पता प्लॉट नम्बर ए-53, 26 सी, गीता विहार ए एवं सी ब्लॉक, नगरियावाला, चक गैटोर, सांगानेर, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।


उपायुक्त जौन-9
जविप्रा, जयपुर
उपायुक्त जौन-9
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष- {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक : जविप्रा/जोन-06/उपा./डी-74

दिनांक.....05-1-23

✓जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :- धारा 90ए के अन्तर्गत लोक सूचना का प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि धारा 90ए के अन्तर्गत संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

संलग्न : लोक सूचना विज्ञप्ति।

✓
उपायुक्त जोन-06,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
~~उपायुक्त जोन-06~~
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....

दिनांक.....

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृ.नि.स.स की योजना कल्याण कुंज विस्तार के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा	स्वामित्व
झोटवाड़ा, जयपुर	584	0.1391 हेक्टेयर	श्री किशनलाल अग्रवाल दत्तक पुत्र ग्यारसी लाल हि. 1/2 एवं सूरज नारायण पुत्र देवीलाल हि. 1/2 जाति महाजन

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस में कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-08 जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022-23/डी- 61

दिनांक:- 5/1/23

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)

जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर।

विषय:-राजस्व ग्राम-हरमाडा, तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 583, 584, 583 की भूमि पर एल.के.पी.एस. विकास समिति द्वारा लक्ष्मी कॉलोनी के नियमन हेतु प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत लोक सूचना जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के तहत राजस्व ग्राम-हरमाडा, तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 583, 584, 583 की भूमि पर एल.के.पी. एस. विकास समिति द्वारा लक्ष्मी कॉलोनी के नियमन की कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके संबंध में सुओमोटो की कार्यवाही के लिये जारी लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है।

अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फोंट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

सलंगन:-लोक सूचना।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रारूप-13

(नियम 13(2) देखिए)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-13/2022/डी- 61

दिनांक:- 5/11/23

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा/सहमति पत्र भूमि हस्तान्तरित होने के कारण अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 90-क(8) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (11) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में सुओमोटो पुनर्ग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क (8) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (11) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम व तहसील का नाम	सहकारी समिति/ विकास समिति का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हेक्टेयर	स्वामित्व
हरमाडा/ आमेर	एल.के.पी.एस. विकास समिति	583	0.23	1. रवि पुत्र लालचंद हिस्सा- 1/8 जाति- माली सा. देह खातेदार
		584	0.17	2. राकेश पुत्र लालचंद हिस्सा- 1/8 जाति- माली सा. देह खातेदार 3. लादूराम पुत्र प्रभातीलाल हिस्सा- 1/4 जाति- माली सा. देह खातेदार 4. सत्यनारायण पुत्र मोहराराम हिस्सा- 1/2 जाति- माली सा. देह खातेदार,
		585	0.05	1. कैलाशचन्द पुत्र गोपाललाल सैनी हिस्सा- 5/6 जाति- माली सा. देह खातेदार 2. बजरंग पुत्र कानानाई हिस्सा- 1/12 जाति- नाई सा. देह खातेदार 3. बोदू पुत्र काना नाई हिस्सा- 1/12 जाति- नाई सा. देह खातेदार,
		किता-3	0.45 हेक्टेयर	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 17(1)नवि/अभियान/2021/म.म.॥ जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 में उल्लेखित कृषि भूमि पर 17.09.1999 से पूर्व की कॉलोनियों में स्वप्रेरणा से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90-क(8) की कार्यवाही करने का अधिकार होने से इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में कमरा नं पी. बी. टी.एफ-307 पार्किंग भवन, तृतीय मंजिल, जविप्रा, जयपुर स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन दिनांक 5/11/23 को जारी की जाती है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13,
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी- 5241

दिनांक 05-1-2023

-: आम सूचना :-

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

कं. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	सोसायटी के अनुसार संख्या भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स/निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिनके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती चम्पा देवी पत्नी श्री हनुमान सहाय	श्री राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री कैलाश चन्द शर्मा	40	107.50	खोरा मीणा	विनायक धाम	फ्री-होल्ड पट्टा	आवंटन पत्र, साईट प्लान, जमा रसीद

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं सदस्यता सूची में नाम अंकित नहीं होने के आधार पर फ्री-होल्ड पट्टा करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का फ्री-होल्ड पट्टा जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

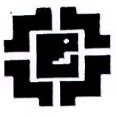
उपायुक्त जोन-12
उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555



यू.ओ.नोट

संशोधित सार्वजनिक विज्ञप्ति

शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना नानूपुरी का कृषि भूमि से भू-उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के सम्बन्ध में सार्वजनिक विज्ञप्ति का प्रकाशन समाचार पत्र महानगर टाइम्स व फर्स्ट इण्डिया में दिनांक 20.12.2022 को प्रकाशित की जा चुका है। उक्त जारी सार्वजनिक विज्ञप्ति में 15 दिवस की अवधि में आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किया गया था। अतः संशोधित विज्ञप्ति अनुसार 30 दिवस (दिनांक 19.01.2023 तक) की अवधि में आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। सूचनार्थ प्रस्तुत है।

जन सम्पर्क अधिकारी,
जविप्रा, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.जोन-06/2022/डी-101
दिनांक: 06-1-23

उपायुक्त जोन-06,
जविप्रा, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण

12/12/22-08
06/01/23



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सार्वजनिक सूचना

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री सतीश यादव व मनीष यादव	श्रीमती रेशमा देवी पत्नि श्री श्री गंगा सिंह	07	170.04 वर्गगज	शंकर भवन नि.स.स.	फूल नगर	लीजडीड हेतु	सहकारी समिति की सूची में नाम दर्ज करने हेतु। मृत्यु प्रमाण व रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र के आधार पर
2.	श्रीमती सन्तोष सिंह पत्नि श्री उदयनारायण सिंह	श्री मानसिंह राठौड पुत्र श्री फतेह सिंह जी	06	216.00 वर्गगज	शंकर भवन नि.स.स.	फूल नगर	लीजडीड हेतु	सहकारी समिति की सूची में नाम दर्ज करने हेतु।

सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्य सूची में मूल आवंटी का नाम अंकित नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र के आधार पर लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

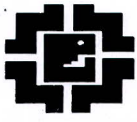
06-01-23
उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

जन सम्पर्क अधिकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2023/डी- 5250

दिनांक 06-1-2023



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022/डी-64

दिनांक:- 6/1/23

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय:-राजस्व ग्राम-चौमू तहसील-चौमू के खसरा नम्बर 8584/6457 रकबा 0.1400 हेक्टेयर भूमि **अन्य संस्थानिक (Hospital) प्रयोजनार्थ** धारा 90ए की कार्यवाही हेतु सूचना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निजी खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम-चौमू तहसील-चौमू के खसरा नम्बर 8584/6457 रकबा 0.1400 हेक्टेयर भूमि **अन्य संस्थानिक (Hospital) प्रयोजनार्थ** धारा 90ए की कार्यवाही के लिये जारी लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फॉट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

सलग्न:-लोक सूचना।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-ओमप्रकाश धमोड़ पुत्र श्री राधेश्याम धमोड़ निवासी-301, एडब्ल्यूएचओ कॉलोनी, अम्बाबारी, जयपुर खातेदार को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022-23/102285/डी-64

दिनांक: 6/1/23

लोक सूचना

ओमप्रकाश पुत्र राधेश्याम हिस्सा पूर्ण जाति-महाजन सा. देह खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का अन्य संस्थानिक (Hospital) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	खातेदार का नाम
तहसील-चौमू जिला-जयपुर	चौमू	8584/6457	0.1400	ओमप्रकाश पुत्र राधेश्याम

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 6/1/23 को जारी की गयी।

24
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022/डी-66

दिनांक:- 6/11/23

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय:-राजस्व ग्राम-चौमू तहसील-चौमू के खसरा नम्बर 8585/6457 रकबा 0.2100 हेक्टेयर, 6458 रकबा 0.3600 हेक्टेयर किता-02 कुल रकबा 0.5700 हेक्टेयर भूमि मिश्रित भू-उपयोग धारा 90ए की कार्यवाही हेतु सूचना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निजी खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम-चौमू तहसील-चौमू के खसरा नम्बर 8585/6457 रकबा 0.2100 हेक्टेयर, 6458 रकबा 0.3600 हेक्टेयर किता-02 कुल रकबा 0.5700 हेक्टेयर भूमि मिश्रित भू-उपयोग धारा 90ए की कार्यवाही के लिये जारी लोक सूचना का दो-राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फॉट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

सलंगन:-लोक सूचना।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-मंजू धमोड़ पत्नी श्री ओमप्रकाश धमोड़, निवासी-301, एडब्ल्यूएचओ कॉलोनी, अम्बाबारी, जयपुर खातेदार को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

220/R-06
06/11/23

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022-23/102285/डी-66

दिनांक: 6/1/23

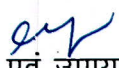
लोक सूचना

मंजूदेवी पत्नि डा. ओमप्रकाश हिस्सा पूर्ण जाति-महाजन सा. देह खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक (मिश्रित भू-उपयोग) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	खातेदार का नाम
तहसील-चौमू जिला-जयपुर	चौमू	6458	0.3600	मंजूदेवी पत्नि डा. ओमप्रकाश
		8585 / 6457	0.2100	
		किता-2	0.5700 हेक्टेयर	

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 6/1/23 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर